


सं. 13017/30/2011-अ.भा.से.-1

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक : 15 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ और हरियाणा की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री निखिल गजराज, भा.प्र. से. (छत्तीसगढ़ : 08) को सुश्री सुलोचना कुमारी, भा.पु. से. (हरियाणा : 10) के साथ विवाह के आधार पर, छत्तीसगढ़ संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।



(नरेन्द्र गौतम)

अवर सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष : 23093063

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

फरीदाबाद (हरियाणा)